महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त

विद्या–परिषद् की 20 वीं बैठक

27 फरवरी, 2014

सुबह 11.00 बजे

सभा–कक्ष

भाषा–विद्यापीठ

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद् की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद् की 20वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 27 फरवरी, 2014 को सुबह 11.00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1.	प्रो. मनोज कुमार	:	अध्यक्ष / कार्यकारी कुलपति
2.	प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल	:	सदस्य
3.	प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल	:	सदस्य
4.	प्रो. देवराज	:	सदस्य
5.	प्रो. अनिल कुमार राय	:	सदस्य
6.	प्रो. सुरेश शर्मा	:	सदस्य
7.	प्रो. शंभु गुप्त	:	सदस्य
8.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	:	सदस्य
9.	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	:	सदस्य
10.	डॉ. फरहद मलिक	:	सदस्य
11.	डॉ. सुरजीत कुमार सिंह	:	सदस्य
12.	प्रो. विजय कुमार कौल	:	सदस्य
13.	डॉ. जयप्रकाश राय	:	सदस्य
14.	श्री जगदीप सिंह दांगी	:	सदस्य
15.	डॉ. अन्नपूर्णा सी.	:	सदस्य
16.	डॉ. कृपाशंकर चौबे	:	सदस्य
17.	डॉ. धूपनाथ प्रसाद	:	सदस्य
18.	सुश्री सुप्रिया पाठक	:	सदस्य
19.	डॉ. रवि कुमार	:	सदस्य
20.	प्रो. दिविक रमेश	:	सदस्य
21.	प्रो. रंजना अरगड़े	:	सदस्य
22.	श्री राजकुमार	:	सदस्य
23.	सुश्री शेल्लिना तोइजम	:	सदस्य
24.	डॉ. कैलाश खामरे	:	सदस्य

स्वागोतोपरांत पदेन सचिव द्वारा विद्या–परिषद् के माननीय सदस्य डॉ. एल. कारूण्यकरा के 24.02.2014 को कार्यकारी कुलपति को भेजे गए पत्र में विद्या–परिषद् की बैठक का आयोजन किए जाने के संदर्भ में व्यक्त आपत्ति तथा कार्यकारी कुलपति द्वारा 26.02.2014 को उनकी शंकाओं का निराकरण करते हुए विद्या–परिषद् की बैठक में शामिल होने संबंधी भेजे गए पत्र की सूचना सभी सदस्यों को दी गई। तदुपरांत बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

मद संख्या –1

विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन :– (अनुलग्नक–1)

विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक 29 जुलाई 2013 को भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या –2

विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई। (अनुलग्नक–2)

विद्या–परिषद् की दिनांक 29 जुलाई 2013 को सम्पन्न 19वीं बैठक में अनुमोदित प्रकरण के संदर्भ में की गयी कार्रवाई माननीय विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः मद संख्या–4 के संदर्भ में विवरण विद्या–परिषद् सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं मद संख्या–22 को पुनः अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा शेष मद संख्या पर की गई कार्रवाई का अनुमोदन किया।

मद संख्या –3

संचार एवं मीडिया अध्ययन के सहायक प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय में नियमित पीएच. डी. करने हेतु अनुमति देने का प्रस्ताव : (अनुलग्नक–3)

विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया अध्ययन में कार्यरत सहायक प्रोफेसर श्री संदीप कुमार वर्मा तथा श्री राजेश लेहकपुरे ने स्थापना एवं प्रशासन विभाग में इसी विश्वविद्यालय से पीएच डी करने हेतु आवेदन दिया जिसे विभाग ने अनुमति हेतु कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया।

कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः नियमित पीएच.डी. करने की अनुमति प्रदान की गई।

मद संख्या –4

पीएच डी शोधार्थी श्री उमेश कुमार पाठक का पूर्व प्रस्तुति सेमिनार का आवेदन : (अनुलग्नक–4)

संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के पीएच डी शोधार्थी श्री उमेश कुमार पाठक ने पूर्व प्रस्तुति सेमिनार का आवेदन दिया था। जिसे अकादमिक विभाग ने पत्रावली पर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया। इस संबंध में पूर्व में केंद्र निदेशक ने शोधार्थी श्री उमेश कुमार पाठक तथा सुश्री तलत सिद्दकी का पंजीयन निरस्त करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की थी जिस पर तत्कालीन कुलपति ने अगले कुलपति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

उक्त प्रकरण निर्देशानुसार विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः श्री उमेश कमार पाठक को 3 माह के अंदर पूर्व प्रस्तुति करने का निर्देश दिया गया तथा सुश्री तलत सिद्दीकी का प्रकरण आर.डी.सी. के माध्यम से पुनः विद्या–परिषद् के समक्ष रखने का निर्णय हुआ।

मद संख्या –5

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा नियमित एम. फिल. तथा पीएच डी आरंभ करने और शोध उपाधि समिति का प्रस्ताव : (अनुलग्नक–5)

दूर शिक्षा निदेशालय ने नियमित एम. फिल. तथा पीएच डी आरंभ करने तथा इस संबंध में शोध उपाधि समिति गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या –6

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव : (अनुलग्नक–6)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांक 2-3/2013-Skt.II (Part-II) दिनांक 07 जनवरी 2014 के अनुसार आधुनिक युग में संस्कृत की महत्ता विषय पर 13–15 सितंबर 2013 को लखनऊ में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें देश में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग आरंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। निर्देशानुसार उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पद और धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया जाए तथा इनकी प्राप्ति पर संस्कृत विभाग आरंभ किया जाए।

मद संख्या –7

एक वर्ष का डिप्लोमा और एक वर्ष का एडवांस डिप्लोमा करने का प्रस्ताव : (अनुलग्नक–7)

भाषा विद्यापीठ के अधिष्ठाता ने विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित कम्प्यूटर तथा विभिन्न भाषाओं के छह माह के सर्टिफिकेट, छह माह के डिप्लोमा और एक वर्ष के एडवांस डिप्लोमा के संबंध में तत्कालीन कुलपति महोदय के समक्ष पत्रावली में प्रस्ताव दिया कि छह माह के सर्टिफिकेट को समाप्त कर एक वर्ष (दो छमाही) का डिप्लोमा तथा डिप्लोमा की अवधि को मिलाकर एडवांस डिप्लोमा को दो वर्ष (चार छमाही) रखा जाये। ऐसा करने से विद्यार्थियों को डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा का वांछित लाभ मिल सकेगा। प्रस्ताव को तत्कालीन कुलपति ने विश्वविद्यालय के अधिनियम 12–3 के अंतर्गत अनुमोदित कर विद्या परिषद् की अगली बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु रखने का निर्देश दिया। प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

मद संख्या –8

विश्वविद्यालयों में Department of Disability Studies आरंभ करने का प्रस्ताव : (अनुलग्नक–8)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांक NO. F. 6-4/2013(SCT) दिनांक 29 अगस्त 2013 के अनुसार विश्वविद्यालयों में Department of Disability Studies आरंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पद और धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया जाए तथा इनकी प्राप्ति पर Department of Disability Studies **आरंभ किया जाए।**

मद संख्या –9

दूरस्थ शिक्षा पद्धति से अनुवाद में एम. ए. का प्रस्ताव : (अनुलग्नक–9)

दो अनुवादकों ने दूरस्थ शिक्षा पद्धति से अनुवाद में एम. ए. का प्रस्ताव दिया है। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज में रखने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या –10

दूर शिक्षा निदेशालय के अध्ययन बोर्ड का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत : (अनुलग्नक–10)

दूर शिक्षा निदेशालय के निदेशक ने पत्रांक 023/09/अ.बो.फा./41/पार्ट.1/156 दिनांक 13 फरवरी 2014 के माध्यम से अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 09 व 10 जनवरी 2014 का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या –11

पीएच डी उपाधि देने की अनुमति को कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव : (अनुलग्नक–11)

विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग, स्त्री अध्ययन विभाग, भाषा प्रौद्योगिकी, सीसीएमएस, मानवविज्ञान विभाग तथा अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के पीएच डी शोधार्थियों को तत्कालीन कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के अधिनियम संख्या 12 (3) के अंतर्गत स्वीकृति दी जिसे कुलसचिव महोदय ने विद्या परिषद् में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। शोधार्थियों के नाम निम्न हैं:–

1. श्री कालुलाल कुलमी
2. श्री विद्यासागर सिंह
3. सुश्री हर्षा जगताप
4. सुश्री नीलम ठवसे
5. श्री सुबोध कुमार
6. श्री भारत पाटील
7. सुश्री मीना तेलगोडे
8. श्री मिलिंद पाटील
9. सुश्री सुप्रिया पाठक
10. श्री विजय झा
11. श्री ओमप्रकाश प्रजापति
12. श्री अश्विनी कुमार
13. सुश्री अमिता
14. श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा
15. सुश्री अंकिता टंडन
16. सुश्री स्वप्ना मलिक
17. श्री चंदन सिंह
18. श्री गंभीर सिंह मीणा

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि आगे से मौखिकी की तिथि से ही प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। मौखिकी की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष द्वारा अधिष्ठाता को दी जाएगी तथा अधिष्ठाता द्वारा कुलपति से स्वीकृति प्राप्त कर प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निर्देष परीक्षा विभाग को भेजा जाएगा तथा जिन विद्यार्थियों की मौखिकी जो चुकी है परंतु उनका प्रस्ताव विद्या-परिषद् में किन्हीं कारणवश नहीं रखा गया है उन्हें भी उनकी मौखिकी की तिथि से ही प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। विभागाध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया मौखिकी संपन्न होने के 15दिनों में कर ली जाए।

मद संख्या -12

चीनी शोधार्थी Mr. Che Zilong के साहित्य विभाग में सीधे पीएच डी में प्रवेश को अनुमति :

चीनी शोधार्थी Mr. Che Zilong को साहित्य विभाग में सीधे पीएच डी में प्रवेश दिया गया है जिसे कार्योत्तर स्वीकृति दी जानी है।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या -13

छात्र प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विचारार्थ : (अनुलग्नक-13)

विद्या परिषद् के छात्र प्रतिनिधि श्री राजकुमार ने निम्न प्रस्ताव प्रेषित किये हैं:-

1. आंतरिक परीक्षा में फेल विद्यार्थियों को अगली छमाही में दुबारा परीक्षा देने की अनुमति दी जाये।
2. एम. फिल. एवं एम. ए. परियोजना कार्य की निर्धारित तिथि 30 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी जाये।
3. अन्य विभागों के पुस्तकालयों से किसी भी विभाग के छात्रों/शोधार्थियों को पुस्तकें निकालने की अनुमति दी जाये।
4. पीएच डी शोधकार्य जमा करने की समय-सीमा 5 वर्ष की जाये।
5. पीएच डी शोधकार्य हेतु एवं चिकित्सकीय अवकाश को व्यक्तिगत अवकाश में शामिल न किया जाये।
6. एम. ए. पाठ्यक्रम के साथ डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य न करके उसे ऐच्छिक रखा जाये।
7. रोजगार-प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये।
8. चिकित्सा हेतु स्थायी वाहन (एम्बुलेंस) का प्रबंध किया जाये। साथ ही विश्वविद्यालयी चिकित्सालय के अतिरिक्त अन्य जगहों पर चिकित्सा हेतु छात्रों को मेडिकल कार्ड जारी किया जाये।
9. छात्रावास-वाचनालय 24 घंटे खुले रहने की व्यवस्था की जाये।
10. मातृत्व अवकाश (180 दिन) की सुविधा दी जाये
11. शोधार्थियों को व्यक्तिगत अवकाश के अतिरिक्त शोधकार्य हेतु अलग से अवकाश दिया जाये।

12. विकलांग छात्रों के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाये।
13. विश्वविद्यालय में ऐसे नियम (कानून) बनाये जायें जिससे तात्कालिक घटनाओं (झगड़ा/लड़ाई) को तुरंत नियंत्रित किया जा सके।
14. शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए छात्रों द्वारा अध्यापकों के अध्यापन संबंधी, फीडबैक लिया जाये।
15. छात्रसंघ की स्थापना की जाये साथ ही छात्रसंघ चुनाव कराया जाये।
16. विश्वविद्यालयी आर्डिनेंस (अध्यादेश) को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाये।
17. विश्वविद्यालय पुस्तकालय में समुचित पत्र–पत्रिकाओं, जर्नल्स आदि की व्यवस्था की जाये।
18. शोधार्थियों की शोधवृत्ति ससमय दी जाये।
19. छात्र हित के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा ससमय कार्य न करने पर जवाबदेही की जाये।
20. विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्तर पर हो रहे धार्मिक उत्सवों को प्रतिबंधित किया जाये।

उपर्युक्त प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>निर्णयः</u> बिंदुवार निम्नानुसार है

13(1) परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाए।

13(2) परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाए।

13(3) विद्यार्थियों को अपने विभागाध्यक्ष की अनुमति से पुस्तकें लेने की अनुमति प्रदान की गई तथा यह भी निर्णय हुआ कि उन पुस्तकों की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

13(4) अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जाए।

13(5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

13(6) स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

13(7) छात्रप्रतिनिधि को कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की जा चुकी है।

13(8) केयर टेकर द्वारा एंबुलेंस बुलाकर उसकी सूचना संबंधित होस्टल वार्डन को दी जाएगी तथा एंबुलेंस का भुगतान अधिष्ठाता–छात्र कल्याण के माध्यम से किया जाएगा। मेडिकल कार्ड बनवाने हेतु कुलानुशासक कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम से संपर्क कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

13(9) प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गई।

13(10) नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

13(11) विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जाए।

13(12) विकलांग छात्रों को कक्षा के समय संबंधित विद्यापीठ में छोड़ने हेतु

विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध वाहनों में से व्यवस्था की गई है।

13(13) विद्या-परिषद् की परिधि में उक्त प्रकरण नहीं आता है इसे विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष कुलानुशासक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।

13(14) सर्वसम्मति से सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई।

13(15) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

13(16) अध्यादेश के अनुवाद हेतु हिंदी अधिकारी को निर्देशित किया जाए।

13(17) पुस्तकालय समिति को कार्रवाई हेतु निर्देश दिया जाए।

13(18) स्वीकृति प्रदान की गई।

13(19) ऐसे किसी भी प्रकरण के बारे में कुलपति को जानकारी नहीं है।

13(20) छात्र प्रतिनिधि को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्तर पर कोई धार्मिक उत्सव नहीं हो रहे हैं।

यह भी निर्णय हुआ कि छात्र प्रतिनिधि केवल पाठ्यक्रमों एवं शोध तथा विद्यार्थियों से संबंधित सुझावों और समस्याओं से संबंधित मुद्दे ही बैठक में प्रस्तुत करें। प्रशासनिक मुद्दों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन एवं अन्य समस्याओं के लिए कुलानुशासक से संपर्क किया जाए।

मद संख्या -14

सत्र 2014–15 का अकादमिक कैलेंडर अनुमोदनार्थ : (अनुलग्नक–14)

विश्वविद्यालय के अकादमिक सत्र 2014–15 का अकादमिक कैलेंडर निर्धारित किया गया है जिसके अनुरूप सत्र का संचालन किया जाना है। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः अकादमिक कैलेंडर का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या -15

विश्वविद्यालय के पीएच डी अध्यादेश के संशोधन तथा नये एम.फिल. अध्यादेश का प्रस्ताव : (अनुलग्नक–15)

विश्वविद्यालय के वर्तमान पीएच डी अध्यादेश में आवश्यक संशोधन करने तथा एम. फिल. का अध्यादेश बनाने के लिए गठित समिति ने पीएच डी अध्यादेश तथा एम. फिल. अध्यादेश का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त अध्यादेशों का प्रारूप अनुमोदनार्थ विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत कुलपति को इस प्रकरण के लिए नई समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया तथा समिति की अनुशंसाओं को निर्णयार्थ विद्या-परिषद् के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या –16

कोलकाता केंद्र में एम. ए., एम.फिल. तथा पीएच डी पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्तावः (अनुलग्नक–16)

विश्वविद्यालय के कोलकाता केंद्र के प्रभारी डॉ. कृपाशंकर चौबे ने कोलकाता केंद्र में अगले अकादमिक सत्र 2014–15 से एम. फिल. तथा पीएच. डी. पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

मद संख्या –17

विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों को पीएच डी करने का प्रस्तावः–(अनुलग्नक–17)

विश्वविद्यालय के कोलकाता केंद्र के प्रभारी डॉ. कृपाशंकर चौबे ने प्रस्ताव दिया है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों को भी पीएच डी करने की अनुमति दी जाये। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः विश्वविद्यालय के वर्धा मुख्यालय तथा कोलकाता एवं इलाहाबाद केंद्रों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मियों को इसी विश्वविद्यालय से पीएच.डी. करने की इच्छा होने पर संबंधित विभाग प्रमुख की अनुकूल टिप्पणी तथा छः माह की अवधि हेतु बिना वेतन के अवकाश पर पीएच.डी.करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

यह भी निर्णय लिया गया कि बाह्य संस्थाओं में आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेश में प्रावधान होने पर ही विचार संभव होगा।

मद संख्या –18

भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष का प्रस्ताव : (अनुलग्नक–18)

विश्वविद्यालय के भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष ने पत्रांक 19/2009–10/जा.पत्र./4046/(6)/11 दिनांक 25 फरवरी 2014 के माध्यम से पीजीडीसीए पाठ्यक्रम को पीजीडीसीए (एलटी) करने तथा इलाहाबाद केंद्र में संचालित पाठ्यक्रम अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान डिप्लोमा को पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में रूप में प्रोन्नत करने का प्रस्ताव दिया है। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः प्रस्ताव में संलग्न सिर्फ बिंदू क्रमांक 2 एवं 4 को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या –19

चीनी तथा स्पेनिश भाषा में एम. फिल. तथा पीएच. डी. पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्तावः–(अनुलग्नक–19)

विश्वविद्यालय के भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत चीनी तथा स्पेनिश भाषा में एम. फिल. तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। भाषा विद्यापीठ के अधिष्ठाता के प्रस्ताव कि विदेशी भाषा के अध्यापकों को शोध निर्देशक नियुक्त किए जाने पर सदन ने विचार किया और यह निर्णय लिया कि दूरस्थ शिक्षा में पदस्थ शैक्षणिक कर्मियों सहित विदेशी भाषा के अध्यापक जो शोध निर्देशक की योग्यता रखते हैं को उनके अकादमिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए शोध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जिस विषय में उनकी योग्यता हो उस विभाग की शोध उपाधि समिति के द्वारा उन्हें नामित किया जाए और तद्नुसार वे रिक्तियों को विज्ञापन में शामिल करें।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

मद संख्या –20

श्री शिवप्रिय से पदनाम बदलने के संबंध में प्राप्त आवेदन : (अनुलग्नक–20)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक F. 14-30(B)/2012 (Inno/ASIST) दिनांक जनवरी 2012 का अवलोकन करें (संलग्न) जिसमें बिंदु 6 में डिप्टी–को–ऑडिनेटर नियुक्त करने का उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन सं.MGAHV/10?2013 दिनांक 24.10.2013 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश में डिप्टी–को–ऑडिनेटर हेतु Walk-in-Interview का विज्ञापन किया गया था। साक्षात्कार के अनुपालन में नवाचारी पाठ्यक्रम इंडियन एंड वेस्टर्न एंड ऐस्थेटिक्स परियोजना में डिप्टी–को–ऑडिनेटर के रूप में विश्वविद्यालय के कार्यालयादेश स्था/1717/2013/म. गां.अं.हि.वि., दिनांक 31.10.2013 के तहत पूर्णतया अस्थाई 179 दिनों के लिए श्री शिवप्रिय को नियुक्त किया गया।

श्री शिवप्रिय ने अपने पत्र दिनांक 14.02.2014 में उल्लेख किया है कि "मैं नवाचारी पाठ्यक्रम इंडियन एंड वेर्स्टन आर्ट्स एंड ऐस्थेटिक्स में डिप्टी–को–ऑडिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा संपादित की जाने वाली कार्य की प्रकृति मूलतः शैक्षणिक हैं। अतः मेरे अकादमिक अनुभव एवं भविष्य को देखते हुए मेरे पदनाम को सहायक प्रोफेसर किया जाए।"

इस संदर्भ में यह संज्ञान लेना चाहें कि नवाचारी पाठ्यक्रम के दिशा–निर्देश में दो सहायक प्रोफेसर एवं एक प्रोफेसर की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया है। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः इस संबंध में प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल एवं प्रो. सुरेश शर्मा की कमेटी गठित की जो अपनी अनुशंसाएं देगी।

मद संख्या –21

महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी शांति अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति की बैठक : (अनुलग्नक–21)

विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी शांति अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति की पहली बैठक 26 फरवरी, 2014 को कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न है।

निर्णयः कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या –22

स्त्री अध्ययन विभाग की शोध उपाधि समिति की बैठक : (अनुलग्नक–22)

विश्वविद्यालय के स्त्री अध्ययन विभाग की शोध उपाधि समिति की सातवी बैठक 21 फरवरी, 2014 को कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न है।

निर्णयः कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या –23

दूर शिक्षा निदेशालय से संबंधित मुद्दे निम्नानुसार है : (अनुलग्नक–22)

1. आई.के.सी. पूणे और विश्वविद्यालय के बीच हुए अनुबंध के आलोक में अब तक आई. के.सी. के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव

   निर्णयः विद्या–परिषद् ने विचार–विमर्श उपरांत आई.के.सी. द्वारा पिछले पांच वर्षों में किए कार्यों के मूल्यांकन के लिए प्रो. पालीवाल की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया

1. प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल	**अध्यक्ष**
2. डॉ. संतोष कुमार भदौरिया	**सदस्य**
3. श्री संजय भास्कर गवई	**सदस्य**
4. श्री विनोद वैद्य	**सदस्य सचिव**

2. Distance Education Bureau (DEB) के मानदंडों के आधार पर नए सिरे से दूर शिक्षा निदेशालय के तहत अध्ययन केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव

   निर्णयः मद संख्या 23 के बिंदू क्रमांक 1 में गठित समिति ही इस संबंध में कार्यवाही कर अपनी अनुशंसाएँ अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।

3. विश्वविद्यालय के दो क्षेत्रीय केंद्रो इलाहाबाद, कोलकाता को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तहत क्षेत्रीय केंद्रों एवं क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों के रूप में मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव

   निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(कैलाश खामरे)

पदेन सचिव : कार्य-परिषद् एवं कुलसचिव
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा (महाराष्ट्र)